

20<sup>6</sup>/<sub>18</sub>

पद्मावती पेशादुड़ी) अज्ञाती संख्या प्राप्ति  
 महेंद्र सिंह व श्यामसुन्दर स्वामी उक्त  
 अज्ञाती अज्ञाते अज्ञाते अज्ञाते अज्ञाते अज्ञाते  
 जिसमें अंकित विषय है कि चक्रान्त पक्ष गणेशसुन्दर  
 पत्नी इत्यादि राणी विद्या दे जलपानी  
 रवाता संख्या 32/35 सम्मत 2013 ता 76  
 में मुक्त मिकर प्राप्ति श्यामसुन्दर स्वामी  
 5 हिस्सा व इसी प्रकार महेंद्र सिंह व 5 हिस्सा  
 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जयविमोक्षपुर  
 काला प्रपक्ष का 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> हिस्सा का है  
 इस प्रकार कुल 9 बीघा रकबा श्यामसुन्दर  
 महेंद्र सिंह का है उनके नाम से 5 हिस्सा  
 गलत दर्ज कर दिया गया है भेरा हिस्सा  
 के स्थान पर प्राप्ति श्यामसुन्दर व  
 महेंद्र सिंह का 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> - 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> हिस्सा दर्ज  
 किया गया है तो उन्हें कोई क्षति  
 नहीं है। पद्मावती का अवलोकन विभाग  
 व पेशा रिकार्ड का भी अवलोकन किया  
 गया पूर्व में उक्त रकबा रामलाल  
 पुत्र सुरज के नाम से पहिल्लादे जलपानी  
 5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया उक्त  
 रकबा वर्तमान जलपानी में श्यामसुन्दर  
 व महेंद्र सिंह के नाम से है श्यामसुन्दर  
 व महेंद्र सिंह का 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> - 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> हिस्सा  
 सही होना चाहिए जयविमोक्षपुर

ला महेंद्र सिंह



गणेशसुन्दर

से 5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है  
 आर: प्राथमिक पत्र: अन्तर्गत चक्रा 131  
 LR Act नार्थी सरीर मोहम्मद पुत्र  
 खुशी मोहम्मद उर्फ खुशीया जाति मुसलमान  
 निवासी शरवेडा का प्रस्तुत जातबंदी  
 वीपत्र पत्र 2 नाम खुदा महेन्द्र सिंह  
 स्वीकृत जाकर तहसील से प्राथमिक  
 के आधार पर 2 नाम खुदा पुत्र प्रेमसुभाष  
 महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह का पत्र नं.  
 4 R K के पत्र नं. 216/205 मु. नं. 3 कि. नं.  
 11 ता 20 प. नं. 216/206 मु. नं. 4 कि. नं.  
 1 ता 20 कुल 7.590 ई. आराजी की  
 हिस्सा कन्सी 5 हिस्सा के लान पर  
 प्रत्येक का 4 1/2 - 4 1/2 हिस्सा का संशोधन  
 किया जा रहा है. 2 नाम खुदा पुत्र प्रेमसुभाष  
 का 4 1/2 हिस्सा व महेन्द्र सिंह पुत्र विजय  
 सिंह का 4 1/2 हिस्सा पढ़ा जावे। इसी  
 भुखार राजस्व नीकडि में अमल डरामड  
 किया जावे। तहसील का जो काला है  
 तहसीर जारी हो। पत्रा वली के लिये  
 कुमार हो का नम्बरे वसुकी पत्रा  
 का खिल रफूत हो।